राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक : 3(07)वन/2023 जयपुर, दिनांक :–

संशोधित आदेश

राज्य सरकार के आदे I क्रमांक Secy/ps/forest/2023-pt दिनांक 05.10.2023 में निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:–

संशोधित किये जाना वाला बिन्दु	पूर्व में जारी आदे I	संशोधन आदे I
1.	संरक्षित क्षेत्र में भ्रमण करने वाले पंजीकृत पर्यटक वाहनों (जिप्सी/केन्टर/मिनी बस/ई–रिक्शा/इलेक्ट्रिक वाहन/नौका/गोल्फ कोर्ट इत्यादि) के साथ पंजीकृत वन्यजीव गाइड का रखा जाना अनिवार्य होगा। कम वहन क्षमता वाल पर्यटक वाहन जैसे ई–रिक्शा के साथ वन्यजीव गाईड रखा जाना अनिवार्य होगा ।	संरक्षित क्षेत्र में भ्रमण करने वाले पंजीकृत पर्यटक वाहनो (जिप्सी/कैंटर/ मिनी बस/नौका/ गोल्फ कार्ट इत्यादि) के साथ पंजीकृत वन्य जीव गाइड का रखा जाना अनिवार्य होगा। साथ ही केवलादेव नेशनल पार्क में आदेश संख्या एफ 3 (580) तक–1/ मुवजीप्र/ 08/10001–03 दिनांक 02.03.2009 में 10 या 10 से अधिक पर्यटकों के समूह के साथ भ्रमण में नेचर गाइड को साथ ले जाना अनिवार्य करते हुए 02.03.2009 से लागू व्यवस्था को पूर्ववत किया जाता है।
9 (a)	अभ्यर्थी की आयु चयन वर्ष की जनवरी की प्रथम तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए।	9.(a)(i) अभ्यर्थी की आयु चयन वर्ष की जनवरी की प्रथम तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। (ii) वन्यजीव गाइड अधिकतम 65 वर्ष आयु तक वन्यजीव गाइड का कार्य करेंगे।

आज्ञा से,

(बीजो जॉय)
विशिष्ट शासन सचिव, वन

RajKaj Ref No.: 11056453

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान, जयपुर। (आवश्यक वितरण) हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव, वन

Document certified by BIJO JOY <Joybijo@gmail.com>.

Digitally Signed by Bijo Joy
Designation : Joint Secretary To Government
Date :10-10-2024 02:14:27

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक Secy/ps/forest/2023-pt   जयपुर, दिनांक :– 5.10.2023

आदेश

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा बाघ आरक्षितियों में पर्यटन के मानकों संबंधी दिशानिर्देश दिनांक 15.10.2012 के पैरा 2.2.9 में निम्नानुसार उल्लिखित है :– "Forest dwellers who have been relocated from or critical tiger habitat to the Buffer shall be given priority in terms of livelihood generation activities related to community-based ecotourism in the tiger reserve. Tiger reserve management shall make a special effort in this regard, besides a periodic review to ensure its compliance. बाघ आरक्षितियों में पर्यटक वाहनों के साथ भ्रमण के दौरान इन क्षेत्रों की जैव विविधता व प्रवेश नियमों की जानकारी देने के लिये; तथा दिशा–निर्देशों एवं आदेशों की पालना के लिये इन क्षेत्रों में जाने वाले प्रत्येक पर्यटक वाहन के साथ एक गाईड लगाये जाने के संबंध में संदर्भित दिशानिर्देशो के बिन्दु सं 2.2.4 (v) " Ensure visitor entry into tiger reserves through vehicles registered with the tiger reserve management, accompanied by authorized guide." से निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त पैरा संख्या 2.5 में उल्लेख है कि " 2.5 These guidelines shall be applicable to the tiger reserves notified under section 38V of the Wild Life (Protection) Act , 1972. The State Government shall lay down guidelines on similar lines for tourism in other protected areas."

माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के प्रकरण संख्या SBCWP No. 19651/2015 एवं अन्य याचिकाओं में दिनांक 23.11.2017 को दिये गये आदेशानुसार अन्य विभाग द्वारा चयनित गाईड वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों में अनुमत नहीं होगें तथा वन विभाग द्वारा ही वन्यजीव गाईड़ पंजीकृत किये जायेगें। अतः पूर्व में जारी आदेश/परिपत्र/दिशा–निर्देश को अतिलंघित करते हुये राज्य में सभी संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीव सुरक्षा एवं संरक्षण में स्थानीय लोगों की भागीदारी एवं विस्थापन से प्रभावित लोगों के हितो को दृष्टिगत रखते हुए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन्यजीव गाईड लगाने व इनके चयन, प्रशिक्षण एव पंजीयन इत्यादि के संबंध में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

1. संरक्षित क्षेत्रों में भ्रमण करने वाले पंजीकृत पर्यटक वाहनों (जिप्सी/केन्टर/मिनी बस/ई–रिक्शा/इलेक्ट्रिक वाहन/नौका/गोल्फ कार्ट इत्यादि) के साथ पंजीकृत वन्यजीव गाईड का रखा जाना अनिवार्य होगा। कम वहन क्षमता वाले पर्यटक वाहन जैसे ई–रिक्शा इत्यादि के साथ वन्यजीव गाईड

Signature valid
Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.10.05 19:39:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4843010

2. किसी संरक्षित क्षेत्र में पंजीकृत किये जाने वाले वन्यजीव गाईड़ो की संख्या उस संरक्षित क्षेत्र में वाहनों की धारण क्षमता (कैरिंग कैपेसिटी) की गणना उपरांत पर्यटन हेतु स्वीकृत वाहनों की संख्या के बराबर होगी।

3. वन्यजीव गाईड़ हेतु पंजीयन अधिकारी :–

   i) बाघ आरक्षितियों में – क्षेत्र निदेशक

   ii) अन्य संरक्षित क्षेत्रों में– संबंधित संरक्षित क्षेत्र का भार साधक अधिकारी (उप वन संरक्षक / उप क्षेत्र निदेशक स्तर का)

   iii) उपरोक्त पंजीयन अधिकारी के निर्णय के विरूद्व मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान को अपील की जा सकेगी तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा।

4. वन्यजीव गाईड का कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को प्रकृति में रूचि रखने वाला; एवं संरक्षित क्षेत्र की जैव विविधता एवं वहां के वन्यजीवों की जीवन शैली एवं भौगोलिक क्षेत्र से जानकारी रखने वाला होना आवश्यक है। वन विभाग द्वारा निर्धारित अर्हता प्राप्त स्थानीय व्यक्ति (उन जिलों / जिले का वासी जिसमें संरक्षित क्षेत्र स्थित हो) को वन्यजीव गाइड के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।

5. वन्यजीव गाईड के दायित्व :–

   a) वन्यजीव गाईड पंजीकृत पर्यटन वाहन के साथ रहकर पर्यटकों को संरक्षित क्षेत्र, वन, वन्यजीवों, इतिहास, पारिस्थितिकी एवं अन्य जानकारी रोचक ढंग से प्रस्तुत करेगा।

   b) इन वन्यजीव गाईडों को विभाग द्वारा ग्रीष्म ऋतु में अग्नि सुरक्षा हेतु तथा वर्षा ऋतु में वाईल्ड लाईफ ट्रैकर्स तथा जंगल गश्ती दल में नियमानुसार काम में लिया जा सकेगा। इस प्रकार के नियोजन की अवधि अधिकतम 6 माह होगी तथा इनका नियोजन राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप किया जायेगा।

   c) वन्यजीव गाईड का दायित्व होगा कि संरक्षित क्षेत्र के नियमों की जानकारी पर्यटकों को दे तथा सुनिश्चित करें कि पर्यटन वाहन के चालक व वाहन में बैठे पर्यटक संरक्षित क्षेत्र के नियमों, दिशा–निर्देशों व आदेशों का उल्लघंन नहीं करें।

   d) किसी भी उल्लघंन होने की स्थिति में वन्यजीव गाईड उल्लंघन की जानकारी संरक्षित क्षेत्र प्रशासन को देगा।

   e) भ्रमण उपरांत वन्यजीव गाईड निर्धारित प्रपत्र में भ्रमण रिपोर्ट एवं फीडबैक संरक्षित क्षेत्र प्रशासन को प्रस्तुत करेगा।

6. वन्यजीव गाईड़ हेतु पंजीयन व नवीनीकरण शुल्क :– जिस संरक्षित क्षेत्र में वन्यजीव गाईड को पंजीकृत किया जा रहा है, उस संरक्षित क्षेत्र की प्रति भारतीय व्यक्ति / प्रति पारी निर्धारित प्रवेश शुल्क का क्रमशः 10 गुना व 5 गुना पंजीकरण व नवीनीकरण शुल्क देय होगा।

7. श्रेणीवार आवंटन :–

   a) बिन्दु संख्या 2 में निर्धारित संख्या के अनुसार पंजीकृत किये जाने वाले वन्यजीवो गाईडो का श्रेणी वार आवंटन निम्नानुसार है:–

क्र.स.	श्रेणी	आवंटन प्रतिशत

Signature valid
Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.10.05 19:39:32 IST
Reason: Approved

1	विस्थापित श्रेणी :– विस्थापित परिवार/बाघ आरक्षिति के कारण पीडित परिवार	50 प्रतिशत
2	ई.डी.सी. श्रेणी :– संरक्षित क्षेत्र के अन्दर आने वाले गांवो के ई.डी.सी. सदस्य	40 प्रतिशत
3	ई.एस.जेड श्रेणी :– घोषित पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र (ESZ) के निवासी	10 प्रतिशत

b) संरक्षित क्षेत्र से विस्थापित परिवार अथवा ऐसा परिवार जिसका संरक्षित क्षेत्र के कारण रोजगार बंद हो गया हो; के मुखिया अथवा उसकी एक बेरोजगार संतान को निर्धारित अर्हता होने पर निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुये वन्यजीव गाईड के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा।

c) ई.डी.सी. श्रेणी में ई.डी.सी. सदस्य अथवा उसकी एक बेरोजगार संतान को निर्धारित अर्हता होने पर निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुये वन्यजीव गाईड के रूप में पंजीकृत किया जायेगा। ई.एस.जेड. श्रेणी में घोषित ई.एस.जे. के निवासी के लिये भी यह व्यवस्था की जायेगी।

d) वन्यजीव हमलों के कारण जनहानि व स्थायी अपंगता होने पर पीड़ित के परिवार के एक बेरोजगार आश्रित सदस्य (आश्रित की परिभाषा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है) को वन्यजीव गाईड के रूप में निर्धारित प्रक्रिया व अर्हता पूर्ण करने पर मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा नियोजित किया जा सकेगा। यह पंजीकरण बिंदु 2 में निर्धारित संख्या के अतिरिक्त होगा।

e) प्रकरण संख्या SBCWP No. 4375/2017 में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णयाधीन संरक्षित क्षेत्रों के फील्ड में कार्यरत वनकर्मी जो न्यूनतम 15 वर्षों तक संरक्षित क्षेत्र में कार्यरत रहे हैं; उनकी एक बेरोजगार संतान को वन्यजीव गाईड चयन में 10 प्रतिशत आवंटन दिया सकेगा बशर्ते वे अन्य सभी पात्रता रखते हों। उक्त चयन ई.डी.सी श्रेणी के आवंटन के विरूद्व ही किया जायेगा।

f) उपरोक्त कारणों से किसी संरक्षित क्षेत्र में 100 प्रतिशत आवंटन ई.डी.सी. श्रेणी में होने की स्थिति में वहॉ पर राज्य के अन्य संरक्षित क्षेत्रों से विस्थापित होने वाले परिवारों को विशेष व्यवस्था के तहत मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा 30 प्रतिशत तक आवंटन दिया जा सकेगा।

g) उपरोक्त आवंटन में महिलाओं व दिव्यांगों के के लिए 33% और 2% का आरक्षण होगा प्राथमिकता दी जायेगी। उक्त श्रेणी में अभ्यर्थी ना होने की स्थिति में नियमित रूप से रिक्त पदो को भरा जायेगा।

h) जिन संरक्षित क्षेत्रो के पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र (ESZ) नही है वहां पर इस श्रेणी का आवंटन ई.डी.सी. श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। इसी प्रकार जिन संरक्षित क्षेत्रों में स्वैच्छिक ग्राम विस्थापन न हो, उन संरक्षित क्षेत्रों में भी विस्थापित श्रेणी का आवंटन ई.डी.सी. श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा।

8. चयन प्रक्रिया :–

a) श्रेणीवार आवश्यक वन्यजीव गाईडों की [illegible] का व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा एवं चयन [illegible] सुनिश्चित की जायेगी।

Signature valid
Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.10.05 19:39:32 IST
Reason: Approved

b) ई.डी.सी. श्रेणी से चयन हेतु अभ्यार्थियों का स्थानीय पारिस्थितिकी विकास समिति (ई.डी.सी.) की अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्र निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयन किया जायेगा।

c) विस्थापित श्रेणी से चयन हेतु अभ्यार्थियों को जिला स्तरीय स्वैच्छिक ग्राम विस्थापन कियान्वन समिति की अनुसंशा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्र निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयन किया जायेगा।

d) पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र (ESZ) श्रेणी से चयन हेतु ESZ मोनिटरिंग कमेटी की अनुसंशा के आधार मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्र निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयन किया जायेगा।

e) चयन हेतु मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्र निदेशक द्वारा प्रशिक्षण पश्चात साक्षात्कार अथवा अन्य कोई प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

9. चयन हेतु अर्हता :–

a) अभ्यर्थी की आयु चयन वर्ष की जनवरी की प्रथम तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए।

b) वन्यजीव गाईड पंजीकरण के इच्छुक व्यक्ति को भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं उत्तीर्ण की योग्यता रखना आवश्यक होगा। हिन्दी व अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी होना आवश्यक है।

c) अभ्यार्थी की अपराधिक पृष्ठ भूमि नहीं होनी चाहिये। इसके लिये पुलिस प्रमाणीकरण कराना आवश्यक होगा।

d) अभ्यार्थी शारीरिक व मानसिक रूप से गाईड़ का कार्य करने हेतु सक्षम हो।

e) पात्रता के संबंध में विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुये शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य योग्यता के संबंध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा छूट दी जा सकेगी।

10. प्रशिक्षण :–

a) सभी वन्यजीव गाइड का पंजीकरण प्राप्त करने वाले इच्छुक व्यक्तियों को इस हेतु दो माह के प्रशिक्षण कार्यकम में भाग लेना अनिवार्य होगा। 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जायेगी। इसके बाद, साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा और साक्षात्कार के संचयी प्रदर्शन और 10वीं कक्षा में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जायेगी। इच्छुक योग्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक के द्वारा अधिकृत स्थानीय वन्य जीव अधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर एवं राज्य स्तर पर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक अथवा उनके द्वारा अधिकृत कम से कम उप वन संरक्षक के अधिकारी के निर्देशन में प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक प्रशिक्षण की समाप्ति पर एक लिखित व मौखिक परीक्षा का आयोजन भी उक्त अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। पंजीकरण प्राप्ति हेतु उक्त परीक्षा मे कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। सफल प्रशिक्षणार्थियों को दो वर्ष हेतु पंजीकरण दिया जायेगा।

b) प्रशिक्षण हेतु पाठयक्रम का विवरण निम्नानुसार है :–

Signature valid
Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.10.05 19:39:32 IST
Reason: Approved

प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों एवं वन्य जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराना होगा जिससे वन्यजीव गाइड्स पर्यटकों को वांछित जानकारी दे सकें एवं उनमें प्रकृति संरक्षण के प्रति रूचि जागृत कर सकें।

1. कक्षा पाठ्यक्रम :–
   i) राज्य के विभिन्न वन्य जीवों के आश्रय स्थल के बारे में जानकारी।
   ii) राज्य के प्रमुख वन्य जीवों व उनके चिन्हों की पहचान एवं उनके व्यवहार की जानकारी।
   iii) स्थानीय क्षेत्र/संरक्षित क्षेत्र की भौगोलिक, पुरातत्व एवं ऐतिहासिक जानकारी।
   iv) वन्य जीव संरक्षण सम्बन्धित नियमों, अधिनियमों एवं अन्य महत्वपूर्ण आदेशों की जानकारी।
   v) पर्यटकों को आदर्श भ्रमण कराने हेतु आवश्यक ज्ञान।
2. व्यवहारिक ज्ञान पाठ्यक्रम :–
   i) राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण वनस्पति प्रजातियों की पहचान का व्यवहारिक ज्ञान।
   ii) राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण वन्यजीवों व इनके चिन्हों की पहचान का व्यवहारिक ज्ञान।
   iii) पर्यटकों से आदर्श व्यवहार का ज्ञान।

c) एक बार प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने के पश्चात प्रतिवर्ष पंजीकृत वन्यजीव गाइड़ो के लिए एक रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया जावेगा जिससे उन्हे नवीनतम जानकारी भी दी जा सके।

d) प्रशिक्षण हेतु निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क अभ्यार्थी द्वारा प्रशिक्षण के प्रारम्भ होने से पूर्व जमा कराना होगा।

e) प्रत्येक वर्ष होने वाले रिफ्रेशर प्रशिक्षण उपरांत लिखित एवं मौखिक परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर पंजीकरण का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

f) उपरोक्त प्रथम प्रशिक्षण व रिफ्रेशर कोर्स के पाठयक्रम में कोई भी परिवर्तन मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर द्वारा किया जा सकेगा।

g) जो प्रशिक्षार्णी 70 प्रतिशत व इससे अधिक अंक प्राप्त करेगा उसे ग्रेड–ए वन्यजीव गाईड चयनित किया जायेगा। 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले वन्यजीव गाईड को ग्रेड बी व वन्यजीव गाईड़ चयन किया जायेगा। भविष्य में ग्रेड–ए व बी के वन्यजीव गाईडों के लिये पृथक फीस व जोन मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा निर्धारित किये जा सकेगे।

11. अन्य निर्देश :–

a) पर्यटक वाहनों के साथ भ्रमण अवधि में संरक्षित क्षेत्र में पंजीकृत वन्यजीव गाईडों का प्रवेश निशुल्क रहेगा।

b) वन्यजीव गाईड की फीस का निर्धारण पूर्ववत मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान द्वारा किया जावेगा।

Signature valid
Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.10.05 19:39:32 IST
Reason: Approved

c) माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या DBCSA No. 132/ 2009 में दिनांक 15.11.2010 को पारित आदेश के क्रम में निर्धारित अतिरिक्त शुल्क का भुगतान कर पर्यटक/टूर ऑपरेटर/होटलीयर्स अपनी इच्छा अनुसार किसी भी गाईड को ले जा सकेगें जिससे की पर्यटक को उच्च गुणवता की सेवाऐं प्राप्त हो सकें। शेष वन्यजीव गाईड का आवंटन रोस्टर के आधार पर किया जावेगा। उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या SBCWP No. 16918/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.7.2023 से च्वाईस गाईड़ हेतु अतिरिक्त फीस वन विभाग द्वारा ही ली जायेगी।

12. वर्तमान में पंजीकृत नेचर गाईड/ई.डी.सी. गाईडो को वन्यजीव गाईड के रूप में स्वतः पंजीकृत माना जायेगा। भविष्य में इनका नवीनीकरण इन आदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

13. वन्यजीव गाईड पंजीकरण निरस्तीकरण :–

a) पर्यटकों द्वारा किसी वन्यजीव गाइड की एक वर्ष में 3 बार निरन्तर शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा इसकी जांच की जायेगी तथा सही पाये जाने पर उसका पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

b) वन्यजीव गाइड द्वारा ड्यूटी में निरन्तर प्रवेश नियमों एवं आदेशों की अवहेलना एवं दुर्व्यवहार आदि करने पर जांच उपरान्त पंजीकरण निरस्त किया जायेगा।

c) यदि कोई वन्यजीव गाईड भारत सरकार, राजस्थान सरकार, वन विभाग अथवा संरक्षित क्षेत्र के हितों के विरूद्व कार्य करता पाया जाता है तो ऐसे वन्यजीव गाईड का जांच उपरान्त पंजीकरण निरस्त कर दिया जावेगा।

d) किसी भी वन्यजीव गाईड के विरूद्व आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर उसका पंजीकरण निरस्त कर दिया जावेगा।

e) जो वन्यजीव गाईड दो वर्षो से गाईड का कार्य नही कर रहे है उनको नोटिस दिया जा कर सुनवाई उपरान्त गाईडिग के इच्छुक नही होने की स्थिति में पंजीकरण निरस्त कर दिया जावेगा।

14. वन्यजीव गाईड का नवीनीकरण 50 वर्ष की आयु तक किया जा सकेगा।

(मोनाली सेन)
विशेषाधिकारी वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (एच.ओ.एफ.एफ), राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर। आवश्यक वितरण हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

Signature valid
Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.10.05 09:39:32 IST
Reason: Approved

विशेषाधिकारी, वन

RajKaj Ref No. : 4843010